

फर्द अहकाम
(नियम 26)

मदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

अरत सिंह

बनाम

इपन्दु सिंह

मुकदम नं. 212

नं.

2/08

सन् 2026

क्र. हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हुआ
	<p>13/2/2026</p> <p>पञ्जावली पेश हुई। मूल वाद कमील वादी की अक्रुपस्थिति में अहम हाजरी/अहम पैरवी में स्वारिज हो चुका है। अतः मुकदम 212 की कमील वादी/गर्दी की अक्रुपस्थिति में अहम हाजरी/अहम पैरवी में स्वारिज डिफा जात है। पञ्जावली फैसल सुनकर सैतान मूल वाद रीफ</p>	

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)